सत्यमेव जयते

राजस्थान – सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी कोटडी जिला भीलवाडा

अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

पीठासीन अधिकारी :– श्री श्रीकान्त व्यास (RAS)

प्रकरण संख्या 62/2018

उनवान

1. रोडा पिता लक्ष्मण रेगर निवासी गोलबडी तहसील कोटडी जिला शाहपुरा ।

.... प्रार्थी

बनाम

1. प्यारा पिता श्रीकिशन कीर निवासी गोलबडी तहसील कोटडी जिला शाहपुरा।
2. चोथमल पिता छोगा कीर निवासी गोलबडी तहसील कोटडी जिला शाहपुरा।
3. सायरी पत्नि चोथमल कीर निवासी गोलबडी तहसील कोटडी जिला शाहपुरा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोटडी जिला शाहपुरा।

..................अप्रार्थीगण

—::निर्णय::—

दिनांक 20/08/2024

प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि उसकी ग्राम गोलबडी पटवार मण्डल कोठाज की खातेदारी अधिकार की आराजी नं0 14/7 शा.नं. 17 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है। जिस पर आने जाने का एक मात्र रास्ता जो ग्राम गोलबडी जाने के रास्ते की बिलानाम जमीन से हाकर विपक्षी संख्या 03 के खातेदारी हक अधिकार की आराजी नं0 14/8 शा.नं. 17 की पश्चिमी मेड से होता हुआ प्रार्थी आपनी आराजी पर पहुचता है। अपनी आराजी पर पहुच हेतु यही एक मात्र नजदीकी रास्ता है और अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। रास्ता नही होने से प्रार्थी अपनी आराजी पर आने जाने और फसल लेने में कठीनाई उत्पन्न हो रही है। इस लिये उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें ।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दिनांक 30/07/2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणो को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए जिन्हें शामिल फाईल किया गया। बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से दिनांक 31/08/2022 को विपक्षीगणों के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में तहसीलदार कोटडी से रेकार्ड एवं मौका स्थिति के अनुसार प्रार्थी अपनी आराजी सं0 14/7 में पहुंच हेतु रास्ते के संबंध में रिपोर्ट मय मौका पर्चा व नक्शा ट्रैस, नजरी नक्शा पेश करने हेतु निर्देश दिया गया। तहसीलदार कोटडी से यह भी जांच के लिए लिखा गया की प्रार्थीगण की जोत में जाने हेतु क्या प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य

उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ी जिला शाहपुरा

कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है या नहीं तथा क्या प्रार्थीगण किसी अन्य रास्ते से आता जाता रहा है इस संदर्भ में भी जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

जिसकी पालना में तहसीलदार कोटडी द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व 570 दिनांक 22/06/2024 के द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय पेश की गई कि प्रार्थी की आराजी सं0 14/7 के रेकॉर्ड एवं मौके की स्थिति से यह जाहिर आया कि प्रार्थी की आराजीयात के पड़ोस में स्थित आराजी संख्या 130/5 बिलानाम दर्ज रेकार्ड हैं एवं विपक्षी संख्या 03 सायरी पत्नि चोथमल कीर की आराजी सं0 130/2 व 14/8 दर्ज रिकार्ड है। उक्त नजदीक स्थित रास्ते के अतिरिक्त आसपास कोई और रास्ता मौके या रेकार्ड में नही है।

उक्त मार्ग के अलावा अन्य कोई निकटतम या वैकल्पिक मार्ग मौके या रेकार्ड अनुसार नहीं है। अतः 15 फीट का रास्ता बिलानाम आराजी सं0 130/5 में से लम्बाई 222 मीटर चौडाई 4.5 मीटर यानी 999 वर्गमीटर एवं विपक्षी संख्या 03 सायरी पत्नि चोथमल कीर की आराजी सं0 130/2 में से लम्बाई 30 मीटर चौडाई 4.5 मीटर यानी 135 वर्गमीटर व विपक्षी संख्या 03 की ही आराजी सं. 14/8 में से लम्बाई 65 मीटर चौडाई 4.5 मीटर यानी 292.5 वर्गमीटर बनता है । कुल क्षेत्रफल 1426.5 वर्ग मीटर अर्थात 0.1426 हैक्टेयर बनता है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई जिन्होंने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार किया। रास्ता नही होने से प्रार्थी अपनी भूमि में नहीं जा पा रहा है एवं अपनी भूमि भी काश्त नहीं कर पा रहा हैं । प्रार्थी को अनावश्यक तनाव से गुजरना पड़ रहा है। इसलिए तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित मार्ग प्रार्थी को मंजूर है।

मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 30/7/2018 को जब पेश किया तब राजस्व रेकार्ड भूमि की गणना बीघा व बिस्वा में थी। परन्तु तदुपरांत राजस्व रि, रेकार्ड में भूमि की गणना है, पद्वति में होने से ने नवीनतम जमाबंदी अनुसार प्रार्थी की भूमि आराजी संख्या 14/7 रकबा 0.9723 हैक्ट0 पायी जाती है।

पत्रावली व सलंग्न दस्तावेजों के अवलोकन, तहसीलदार कोटडी द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव, वकील प्रार्थी की बहस से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी की जोत पर जाने हेतु एवं उसकी हक हिस्से की जोत का उपयोग उपभोग करने हेतु रास्ते की वास्तविक आवश्यता है एवं कोई सुविधाजनक उपयोग के लिए प्रार्थना पत्र नहीं है एवं यह भी स्पष्ट है कि तहसीलदार कोटडी द्वारा प्रस्तावित मार्ग के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग प्रार्थी के पास अपनी जोत पर जाने हेतु उपलब्ध नहीं है।

अतः प्रार्थी रोडा पिता लक्ष्मण रेगर निवासी गोलबडी तहसील कोटडी को अपनी आराजी ग्राम गोलबडी प0ह0 कोठाज की आराजी संख्या 14/7 रकबा 0.9723 हैक्ट0 पर पहुंच हेतु बिलानाम आराजी सं0 130/5 में से लम्बाई 222 मीटर चौडाई 4.5 मीटर यानी 999 वर्गमीटर एवं विपक्षी संख्या 03 सायरी पत्नि चोथमल कीर की आराजी सं0 130/2 में से लम्बाई 30 मीटर चौडाई 4.5 मीटर यानी 135 वर्गमीटर व विपक्षी संख्या 03 की ही आराजी सं. 14/8 में से लम्बाई 65 मीटर चौडाई 4.5 मीटर यानी 292.5 वर्गमीटर बनता है । कुल क्षेत्रफल 1426.5 वर्ग मीटर अर्थात 0.1426 हैक्टेयर को रा0का0अधि0 की धारा 251ए के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए रास्ते हेतु राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते है कि रास्ता दर्ज करने से पूर्व नियमानुसार नवीनतम सिंचित भूमि की डी0एल0सी0 दर 322086/— रुपये एवं सिंचित भूमि की डी0एल0सी0 दर 157545 रुपये है। बिलानाम असिंचित आराजी सं0 130/5 में से 999 वर्गमीटर की डी0एल0सी0 दर 15739/— रू0 की दुगनी दर से कुल 31478/— रास्ते प्रतिकर के रूप में प्रार्थी राजकोष में जमा करायेगा एवं विपक्षी सं. 03 सायरी पत्नि चोथमल कीर निवासी गोलबडी की सिंचित आराजी सं. 130/2 में से 135 वर्गमीटर व

उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ी जिला शाहपुरा

14/8 में से 292.5 वर्गमीटर कुल 427.5 वर्गमीटर की डी0एल0सी0 दर 13753/– रू0 की दुगनी दर से कुल 27506/– रास्ते प्रतिकर के रूप विपक्षी संख्या 03 को नियमानुसार भुगतान की जावें।

प्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि उक्त रास्ते से होकर अपनी आराजी में जाने के अलावा अप्रार्थी की शेष आराजीयात में किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाए और प्रार्थी को अप्रार्थी की उक्त आराजीयात में कोई अन्य अधिकार प्राप्त/अर्जित नहीं होंगे। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया । पालनार्थ तहसीलदार कोटड़ी को लिखा जावे।

–:: आदेश ::–

अतः प्रार्थी रोडा पिता लक्ष्मण रेगर निवासी गोलबडी तहसील कोटडी को अपनी आराजी ग्राम गोलबडी प0ह0 कोठाज की आराजी संख्या 14/7 रकबा 0.9723 हैक्ट0 पर पहुंच हेतु बिलानाम आराजी सं0 130/5 में से लम्बाई 222 मीटर चौडाई 4.5 मीटर यानी 999 वर्गमीटर एवं विपक्षी संख्या 03 सायरी पत्नि चोथमल कीर की आराजी सं0 130/2 में से लम्बाई 30 मीटर चौडाई 4.5 मीटर यानी 135 वर्गमीटर व विपक्षी संख्या 03 की ही आराजी सं. 14/8 में से लम्बाई 65 मीटर चौडाई 4.5 मीटर यानी 292.5 वर्गमीटर बनता है । कुल क्षेत्रफल 1426.5 वर्ग मीटर अर्थात 0.1426 हैक्टेयर को रा0का0अधि0 की धारा 251ए के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हए रास्ते हेतु राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते है कि रास्ता दर्ज करने से पूर्व नियमानुसार बिलानाम असिंचित आराजी सं0 130/5 में से 999 वर्गमीटर की डी0एल0सी0 दर 15739/– रू0 की दुगनी दर से कुल 31478/– रास्ते प्रतिकर के रूप में प्रार्थी राजकोष में जमा करायेगा एवं विपक्षी सं. 03 सायरी पत्नि चोथमल कीर निवासी गोलबडी की सिंचित आराजी सं. 130/2 में से 135 वर्गमीटर व 14/8 में से 292.5 वर्गमीटर कुल 427.5 ,वर्गमीटर की डी0एल0सी0 दर 13753/– रू0 की दुगनी दर से कुल 27506/– रास्ते प्रतिकर के रूप विपक्षी संख्या 03 को नियमानुसार भुगतान की जावें।

रास्ते के लिए प्रदत की गई भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अभिलिखित की जायेगी एवं उक्त भूमि का प्रयोग सार्वजनिक होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जावें।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ी (शाहपुरा)

उपखण्ड अधिकारी
कोटड़ी जिला शाहपुरा